कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01 / यो0ब0–48 / 2019– 920 **दिनांक :** 24/9/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची / वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची /
वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची / सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा / चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा / जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / दुमका वन प्रमंडल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2025–26 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना" (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पौध बीज उद्यान (Seedling Seed Orchard) की स्थापना, बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Producation Area) की स्थापना हेतु **रू0 230.871 (दो करोड़ तीस लाख सतासी हजार एक सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0–07 / 2019–37 / स्वी0 व0प0 दिनांक 06.09.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट–07 / 2019–88 / आ0 व0प0 दिनांक 12.09.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–39 स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 230.871 (दो करोड़ तीस लाख सतासी हजार एक सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796390103	114.744
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796390323	116.127
कुल :–		**230.871**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार / उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने समुख अंकित

कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2(क)** एवं **2(ख)** तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601796390103 एवं 19S240601796390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जाएगी। सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

7. **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित स्थल चयन समिति से अनुमोदित स्थल विवरणी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।**

8. साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से सीड् आर्चड में रोपित किए जाने वाले पौधों की प्रजाति एवं उसके बीज श्रोत का अनुमोदन भी प्राप्त करके राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चिन्हित किए गए बीज उत्पादन क्षेत्र

के संबंध में स्थल, उसमें उपलब्ध वृक्षों की संख्या, उसकी स्थिति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के आधार पर उसे बीज उत्पादन क्षेत्र बनाने योग्य मापदण्डों पर समीक्षा कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

23/9

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–48/2019**– 920 दिनांक– 24/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/दुमका/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ दुमका/इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–48/2019**– 920 दिनांक– 24/9/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा/ चाईबासा/ जमशेदपुर/ दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1(क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चर्ड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना का प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			76807.74	61210.54	138018.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	12	9.217	7.345	16.562
2	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	12	9.217	7.345	16.562
3	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	10	7.681	6.121	13.802
4	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	10	7.681	6.121	13.802
कुल योग :–		**44**	**33.796**	**26.932**	**60.728**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जानेवाली स्थाई पौधशाला एवं सीड़ आर्चड योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) अन्तर्गत बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना का प्रमंडलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय वर्ष 2019–20 (राशि लाख में)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			57820.66	63710.54	121531.20
i	ii	iii	iv	v	vi
1	वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची	20	11.564	12.742	24.306
2	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	30	17.346	19.113	36.459
3	राँची वन प्रमंडल, राँची	20	11.564	12.742	24.306
4	सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा	15	8.673	9.557	18.230
5	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	5	2.891	3.186	6.077
6	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	20	11.564	12.742	24.306
7	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	20	11.564	12.742	24.306
8	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	10	5.782	6.371	12.153
कुल योग :–		**140**	**80.948**	**89.195**	**170.143**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\Seed Orchard\TSP\Advance Work\Seed Orchard (TSP)

अनुलग्नक –2(क)

योजना का नाम : पौध बीज उद्यान Seedling Seed Orchard की स्थापना (न्युनतम 10 हे0 क्षेत्रफल हेतु) कार्य दर

रकवा : 1 हे0

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83 पौधों की संख्या – 1000 प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83**						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	**झाड़ी सफाई**						
2.1	सामान्य झाड़ी अथवा		7	1748.81	0.00	1748.81	
2.2	आवंछित पेड़ों को हटाना – कृपया नोट देखें।						
3	**घेरान कार्य (240 मीटर लंबा)**						
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10	
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00	
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्क्रेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49	0.00	1481.49	
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20	
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.)अधिकतम 1000 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	75	18737.25	0.00	18737.25	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – अधिकतम 120 कंटूर, साईज 5 मी. x 0.30 मी. x 0.30 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढ़ाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।	हे0	55	13740.65	0.00	13740.65	
6	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ़्य वृक्ष अनुसार वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे0	15	3747.45	0.00	3747.45	
7	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकम एवं प्रसार सहित) साईन बोर्ड की स्थापना, आदि।	हे0	1	249.83	150.00	399.83	
	योग–		**307.44**	**76807.74**	**61210.54**	**138018.28**	
(B)	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	अंश पोधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित गुणाढ़्य वृक्ष वार अलग अलग बेड में पौधा तैयार करना।	हे0	18	5171.40	0.00	5171.40	
2	Randomized design अनुसार वृक्षारोपण। कृपया नोट देखें।	हे0	45	12928.50	0.00	12928.50	
3	दो कोड़नी निकौनी	हे0	25	7182.50	0.00	7182.50	
4	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	1575.00	1575.00	
5	वनों की सुरक्षा	दिन	27.5	7900.75	0.00	7900.75	
6	विविध कार्य छायांकन एवं प्रसार सहित साईन बोर्ड की स्थापना। प्रत्येक पौधा का गुणाढ़्य वृक्ष अनुसार लेवेलिंग, सम्पुर्ण अभिलेख संधारण आदि कार्य।	हे0	0	0.00	1500.00	1500.00	
	योग–		**115.5**	**33183.15**	**3075.00**	**36258.15**	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(C)	वित्तीय वर्ष 2021–22 में संधारण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए						
1	वनों की सुरक्षा (घेंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	12059.60	0.00	12059.60	
2	एक कोड़नी निकौनी एवं मृत पौधों को बदलना।	हे0	16	5286.40	100.00	5386.40	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00	
	योग–		**52.5**	**17346.00**	**885.00**	**18231.00**	
(D)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में संधारण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए						
1	वनों की सुरक्षा (घेंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	13868.54	0.00	13868.54	
2	एक कोड़नी निकौनी	हे0	14	5319.44	0.00	5319.44	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया जैविक खाद किटनाशनक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00	
	योग–		**50.5**	**19187.98**	**785.00**	**19972.98**	
(E)	वित्तीय वर्ष 2023–24 में संधारण कार्य (पंचम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 436.95 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए						
1	वनों की सुरक्षा (घेंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	15948.68	0.00	15948.68	
2	एक कोड़नी निकौनी	हे0	14	6117.30	0.00	6117.30	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे0	0	0.00	785.00	785.00	
	योग–		**50.5**	**22065.98**	**785.00**	**22850.98**	
(F)	वित्तीय वर्ष 2024–25 में संधारण कार्य (षष्टम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 502.50 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए						
1	वनों की सुरक्षा (घेंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	18341.25	0.00	18341.25	
	योग–		**36.5**	**18341.25**	**0.00**	**18341.25**	
(G)	वित्तीय वर्ष 2025–26 में संधारण कार्य (सप्तम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 577.87 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए						
1	वनों की सुरक्षा (घेंरान मरम्मति सहित)	दिन	36.5	21092.26	0.00	21092.26	
			36.5	**21092.26**	**0.00**	**21092.26**	
	सकल योग –		**649.44**	**208024.35**	**66740.54**	**274764.89**	

नोट :–

1. उपर इंगित दर, आइटम अनुसार है एवं प्रत्येक पौध बीज उद्यान हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें।

2. साथ ही एक स्थल पर गुणाढ्य वृक्ष अनुसार पौधे तैयार करने एवं उन्हें डिजाइन अनुसार रोपण करने के क्रम में वनस्पति / वानिकी / कृषि / उद्यान शास्त्र में स्नाकोत्तर कक्षा एवं उससे उपर की अहर्त्ता रखने वाले छात्रों को मानदेय के रुप में अग्रिम कार्य वर्ष एवं समापन कार्य वर्ष में कुल मिलाकर अधिकतम 5 माह नियोजित किया जा सकता है एवं उसके लिए रु0 10,000/– प्रति माह के आधार पर प्राक्कलन में राशि को सम्मिलित किया जा सकता है।

3. पौध बीज उद्यान में झारियों के अतिरिक्त उपलब्ध अन्य अवांछित / कमजोर वृक्षों को हटाने हेतु सक्षम स्तर से पातन अनुमति प्राप्त करें एवं स्थल वार प्राक्कलन समर्पित करें।

4. 10 हे0 क्षेत्रफल के पौध बीज उद्यान में औसतन 50 से 60 गुणाढ्य वृक्षों के बीज के पौधे कम्प्यूटर से Randomized design अनुसार रोपित कराया जाना आवश्यक है। इसके अभिलेख भी संधारित करना आवश्यक है।

5. पौध बीज उद्यान में रोपित पौधों का 3–5 वर्ष पश्चात् प्रोजेनी मुल्यांकन करते हुए अवर (Inferior) गुणवत्ता के पौधों / वृक्षों का निष्कासन किया जाना चाहिये। इससे संबंधित अभिलेख संधारित किये जाय।

6. ज्ञातव्य हो की उपरोक्त मानव दर 10 हे0 इकाई आधारित है इसलिए यदि कोई स्थल विशेष 10 हे0 से 30 हे0 आकार का होने तक एक पशुरक्षक हेतु ही राशि अनुमान्य होगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2019-20\Development\Sub-Allotment\Seed Orchard\TSP\Advance Work\Seed Orchard (TSP)

अनुलग्नक –2(ख)

बीज उत्पादन क्षेत्र (Seed Production Area) की स्थापना हेतु कार्य दर

रकवा : 1 हे0

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83

पौधों की संख्या – अधितम 150 वृक्ष प्रति हे0

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
क	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रथम वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83**						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	**झाड़ी सफाई**						
2.1	सामान्य झाड़ी अथवा	हे0	7	1748.81	0.00	1748.81	
2.2	आवंछित पेड़ों को हटाना – कृपया नोट देखें।						
3	**घेरान कार्य (240 मीटर लंबा)**						
3.1	आर0सी0सी0 पीलर 82 सं0 823.00 रू0 प्रति पीलर। पीलर का आकार 7' x 4" x 4" का निर्माण एवं 1' x 1' x 2' का गड्ढा में ढलाई कर लगाने का खर्च	प्रति इकाई	118	29479.94	39475.16	68955.10	
3.2	कंटीला तार 4Point 2Ply 12swg, 15cm apart 64.32 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 225 kg	प्रति इकाई	0.00	0.00	14472.00	14472.00	
3.3	कंटीलातार को खींचने, सीधा करने, स्वेल इत्यादि लगाने का कार्य सहित।	प्रति इकाई	5.93	1481.49	0.00	1481.49	
3.4	आर0सी0सी0 पीलर एवं कंटीलेतार की कार्य स्थल तक ढुलाई 15% of (3.1+3.2)	प्रति इकाई	27.51	6872.82	5763.38	12636.20	
4	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	2997.96	0.00	2997.96	
5	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना मिट्टी जांचोपरांत आवश्यकतानुसार (मृदा परिक्षण कार्ड अभिलेख में रखें)	हे0	3	749.49	1000.00	1749.49	
6	मृदा एवं जल संरक्षण गली प्लगिंग/सिल्ट रिंटेंशन डेम /कंटुर आदि (आवश्यकतानुसार)	हे0	45	11242.35	0.00	11242.35	
7	विविध कार्य छायांकन, साईन बोर्ड की स्थापना, प्रत्येक गुणाढ़य वृक्ष का मार्किंग एवं लेवलिंग आदि कार्य।	हे0	0.00	0.00	2000.00	2000.00	
8	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	2498.30	1000.00	3498.30	
	योग –		**231.44**	**57820.66**	**63710.54**	**121531.20**	
ख	**वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 287.30 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2019–20 को आधार मानते हुए**						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	3447.60	0.00	3447.60	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	2873.00	1000.00	3873.00	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	861.90	1000.00	1861.90	
4	विविध कार्य (छायांकन,साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	200.00	200.00	
	योग –		**25.00**	**7182.50**	**2200.00**	**9382.50**	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
ग	**वित्तीय वर्ष 2021–22 में तृतीय वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 330.40 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020–21 को आधार मानते हुए**						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6″ ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	3964.80	0.00	3964.80	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	3304.00	1000.00	4304.00	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	991.20	1000.00	1991.20	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	330.40	0.00	330.40	
	योग –		**26**	**8590.40**	**2000.00**	**10590.40**	
घ	**वित्तीय वर्ष 2022–23 में चतुर्थ वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 379.96 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2021–22 को आधार मानते हुए**						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6″ ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	4559.52	0.00	4559.52	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	3799.60	1000.00	4799.60	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	1139.88	1000.00	2139.88	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	379.96	0.00	379.96	
	योग –		**26**	**9878.96**	**2000.00**	**11878.96**	
च	**वित्तीय वर्ष 2023–24 में पंचम वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 436.95 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2022–23 को आधार मानते हुए**						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6″ ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	5243.40	0.00	5243.40	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	4369.50	1000.00	5369.50	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	1310.85	1000.00	2310.85	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	436.95	0.00	436.95	
	योग –		**26**	**11360.70**	**2000.00**	**13360.70**	
छ	**वित्तीय वर्ष 2024–25 में षष्टम वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 502.50 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2023–24 को आधार मानते हुए**						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6″ ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	6030.00	0.00	6030.00	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	5025.00	1000.00	6025.00	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	1507.50	1000.00	2507.50	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	502.50	0.00	502.50	
	योग –		**26**	**13065.00**	**2000.00**	**15065.00**	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	
ज	वित्तीय वर्ष 2025–26 में सप्तम वर्ष मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 577.87 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2024–25 को आधार मानते हुए						
1	सीड प्रोडक्शन हेतु चयनित गुणाढ़य वृक्षों (150 वृक्ष प्रति हे0) की कोड़नी 5 फीट की त्रिज्या में एवं 6" ईंच गहराई तक।	हे0	12.00	6934.44	0.00	6934.44	
2	गुणाढ़य वृक्ष वार अलग अलग बीज संग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण एवं अभिलेख संधारण कार्य।	हे0	10.00	5778.70	1000.00	6778.70	
3	प्रत्येक वृक्ष में जैविक खाद डालना/उर्वरक, डी0ए0पी0 डालना आवश्यकतानुसार।	हे0	3	1733.61	1000.00	2733.61	
4	घेरान मरम्मति	प्रति इकाई	1	577.87	0.00	577.87	
	योग –		26	15024.62	2000.00	17024.62	
	सकल योग –		386	122922.84	75910.54	198833.38	

नोट :– 1. उपर इंगित दर आइटम अनुसार है एवं प्रत्येक बीज उत्पादन क्षेत्र हेतु स्थल आवश्यकता अनुसार प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें।

2. गुणाढ़य वृक्षों के अतिरिक्त कमजोर वृक्षों को हटाने हेतु सक्षम स्तर से पातन अनुमति प्राप्त करें एवं स्थल वार प्राक्कलन समर्पित करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

दिनांक - 24-Sep-2

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61183	DRNFWL020 SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	2,078,100.00 रुपये बीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ
2	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61187	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CF & STATE SILVICULTURIST JHA	2,656,300.00 रुपये छब्बीस लाख छप्पन हजार तीन सौ
3	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61189	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,156,400.00 रुपये ग्यारह लाख छप्पन हजार चार सौ

योग: 5,890,800.00

क्रमिक योग: रुपये अठावन लाख नब्बे हजार आठ सौ

24/9

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 24/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920

दिनांक - 24-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61192	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	867,300.00 रुपये आठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ
5	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61194	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	289,100.00 रुपये दो लाख नवासी हजार एक सौ
6	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61196	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,924,500.00 रुपये उन्नीस लाख चौइस हजार पाँच सौ

योग: 3,080,900.00

क्रमिक योग: रुपये नवासी लाख इकहत्तर हजार सात सौ 8,971,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 24/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920 दिनांक - 24-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61198	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,924,500.00 रुपये उन्नीस लाख चौइस हजार पाँच सौ
8	S 19 240601796390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61200	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	578,200.00 रुपये पाँच लाख अठहत्तर हजार दो सौ
9	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61206	DRNFWL020 SHRI KAMLESH PANDEY CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	2,008,700.00 रुपये बीस लाख आठ हजार सात सौ

योग: 4,511,400.00

क्रमिक योग: रुपये एक करोड चौतीस लाख तिरयासी हजार एक सौ 13,483,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 24/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920

दिनांक - 24-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61209	DRNFWL032 RAJIV RANJAN CF & STATE SILVICULTURIST JHA	2,645,800.00 रुपये छब्बीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ
11	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61212	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,274,200.00 रुपये बारह लाख चौहत्तर हजार दो सौ
12	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61213	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	955,700.00 रुपये नौ लाख पचपन हजार सात सौ

योग: 4,875,700.00

क्रमिक योग: 18,358,800.00

रुपये एक करोड तिरयासी लाख अठावन हजार आठ सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 24/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920 दिनांक - 24-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61216	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	318,600.00 रुपये तीन लाख अठारह हजार छः सौ
14	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61220	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	1,886,300.00 रुपये अठारह लाख छियासी हजार तीन सौ
15	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336) Centeral Scheme : NA	61223	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	1,886,300.00 रुपये अठारह लाख छियासी हजार तीन सौ

योग: 4,091,200.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड चौइस लाख पचास हजार 22,450,000.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 24/9/2019

पत्र संख्या - 01/YB-48/2019/920

दिनांक - 24-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशामनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme**	61226	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	637,100.00 रुपये छः लाख सैतीस हजार एक सौ

State Scheme : PERMANENT NURSERIES - SEED ORCHARDS(0336)

Centeral Scheme : NA

योग: 637,100.00

क्रमिक योग: रुपये दो करोड तीस लाख सित्यासी हजार एक सौ 23,087,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 24/9/2019